



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17545

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 89 वर्ष 2026

राम लाल जयन (ग्राम प्रधान) ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: महादेव सिंह चंदेल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह याचिका ग्राम प्रधान द्वारा निजी अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई है।
2. याचिका में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि निजी अधिवक्ता द्वारा दायर की गई याचिका विचारणीय नहीं है, और वह भी जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति लिए बिना।
3. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. एस. चंदेल ने वर्तमान याचिका को अनुत्तरित मानते हुए खारिज करने और नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है।
4. अनुरोध स्वीकार किया जाता है।
5. याचिका अनुत्तरित मानते हुए खारिज की जाती है और अनुरोधित स्वतंत्रता दी जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"